


कार्यालय अति. जिला परियोजना समन्वयक

समग्र शिक्षा अभियान, एकीकृत शिक्षा संकुल तोपदडा,
अजमेर (राज.)- 305001

Phone :- 0145-2631760 E-Mail -adpcsmsaaajmer@gmail.com



क्रमांक - जिपस/सशिक्ष/अज/आदर्श एवं उत्कृष्ट ./2019-20/107

दिनांक :- 12/4/19

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा अभियान
विकास खण्ड-समस्त
जिला अजमेर

विषय :- आदर्श विद्यालयों की श्रेणी के पुनर्निर्धारण के क्रम में।


प्रसंग :- परिषद जयपुर का पत्रांक 435 दिनांक 11.04.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हे कि जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित ग्रामीण आदर्श विद्यालयों की A,B,C,D श्रेणी निर्धारण एवं शहरी क्षेत्र में स्थित आदर्श विद्यालयों को E & F श्रेणी निर्धारण हेतु निम्नानुसार पैरामीटर्स सक्षम स्तर से निर्धारित है :-

- 1 नामांकन अनुसार कक्षा - कक्षा की उपलब्धता
- 2 क्रियाशीलता शीचालयों की उपलब्धता
- 3 विद्युत कनेक्शन
- 4 इन्टरनेट की उपलब्धता
- 5 पेयजल की उपलब्धता
- 6 खेल मैदान की उपलब्धता
- 7 आईसीटी लैब


पूर्व में दिनांक 31.03.2018 के आधार पर ब्लॉक द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार आदर्श विद्यालयों की श्रेणी का निर्धारण किया गया था। उक्त श्रेणीवार निर्धारण की ब्लॉकवार विवरण आपको प्रेषित किया जा रहा है। जिसको दिनांक 31.03.2019 की सूचना के आधार पर सलग्न निर्धारित एक्सल फॉर्मेट में अद्यतन कर दिनांक 18.04.2019 तक हार्ड एवं साफ्ट कापी जिला कार्यालय की मेल आईडी adpcsmsaaajmer@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करावे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या या अन्य जानकारी के लिए प्रभारी अमित कुमार गुप्ता कार्यक्रम अधिकारी से मॉबाईल नम्बर 9929457575 पर संपर्क करें। तथा यह सूचना 18.04.2019 को अनिवार्य रूप से प्रेषित करे विलम्ब होने पर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

सलग्न :- ब्लॉकवार आदर्श विद्यालयों की श्रेणी के अनुसार एक्सल शीट
श्रेणी निर्धारण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश (परिशिष्ट अ)
निर्धारित फॉर्मेट (Annexure A -G)


अति. जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, अजमेर
दिनांक :- 12/4/19

क्रमांक - जिपस/सशिक्ष/अज/आदर्श एवं उत्कृष्ट ./2019-20/108-10
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 श्रीमान नि. सचिव राज्य परियोजना निदेशक रास्कूलशिप जयपुर।
- 2 श्रीमान नि. सचिव निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर
- 3 श्रीमान नि. सचिव शिक्षा अधिकारी अजमेर
- 4 रक्षित प्रति


अति. जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, अजमेर

आदर्श विद्यालय श्रेणी निर्धारण हेतु विद्युत दिद्या-निर्देश

1. पत्रानुसार समस्त पैरामीटर्स को पूर्ण करने वाले ग्रामीण आदर्श विद्यालय को 'A' श्रेणी में तथा शहरी आदर्श विद्यालय को 'E' श्रेणी में रखा जावे।
2. क्रमशः आदर्श विद्यालयों की 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' & 'F' श्रेणी का निर्धारण निम्न तालिका अनुसार किया जावे :-

विद्यालय का प्रकार	श्रेणी	श्रेणी निर्धारण हेतु मानक
ग्रामीण आदर्श	(A)	पर्याप्त आधारभूत संरचना की उपलब्धता वाले विद्यालय
	(B)	ऐसे विद्यालय जिसमें विद्यालय स्तर पर संसाधन जुटाकर आसानी से आधारभूत संरचना की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
	(C)	ऐसे विद्यालय जिनमें केवल कक्षा कक्षा की कमी है तथा अन्य आधारभूत संरचना की उपलब्धता मापदण्डों के अनुसार है।
	(D)	आधारभूत संरचना की अत्यधिक कम उपलब्धता वाले विद्यालय
शहरी आदर्श	(E)	पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले विद्यालयों की संख्या
	(F)	आधारभूत संरचना में कमी वाले विद्यालयों की संख्या

3. समस्त अद्यतन एवं स्पष्ट सूचना Annexure : 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' के अनुसार निर्धारित एक्सल फॉर्मेट में ही भरी जावे।
4. कॉलम सं. 10 एवं 11 में संख्यात्मक एवं शेष कॉलमों में Y/N में सूचनाएँ प्रविष्ट की जानी है।
5. ग्रामीण आदर्श विद्यालयों को 'A', 'B', 'C', 'D' एवं शहरी आदर्श विद्यालयों को 'E', 'F' में वर्गीकृत किया जाना है।
6. Annexure - 'G' में जिले के आदर्श विद्यालयों का सार्वजनिक विवरण आवश्यक रूप से प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।
7. पूर्व आदर्श विद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं होने की स्थिति में अथवा अन्य विशेष विवरण जैसे : विद्यालय क्रमोन्नति इत्यादि हेतु निर्धारित प्रपत्र के कॉलम संख्या 19 (Remarks) में स्पष्ट टिप्पणी करें।
8. समस्त सूचनाएँ दिनांक 31.03.2019 के आधार पर अद्यतन कर संलग्न निर्धारित एक्सल फॉर्मेट में दिनांक 15.04.2019 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

